उ0प्र0 राज्य महिला आयोग के मा0 पदाधिकारी/अधिकारियों द्वारा समय–समय पर महिला उत्पीड़न की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों का भ्रमण किया जाता है, जिसमें प्रायः यह देखा गया है कि महिलाओं के नाम किसी सम्पत्ति का न होना/आर्थिक रूप से कमजोर होना, उनके उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण है, महिलाओं की आर्थिक उन्नति व सामाजिक सुरक्षा हेतु उन्हें भी पुरूषों के समान कृषि/आबादी सम्पत्ति में अधिकार दिलाया जाना अति आवश्यक हो गया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार/दर्जा दिये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहें हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं को आबादी वाली सम्पत्ति/सम्पदा के समान ही कृषि सम्पत्ति में भी उत्तराधिकार की व्यवस्था कराया जाना महत्वपूर्ण है। " सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम 2005" में पुत्रियों को पिता की आवास वाली पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किये गये है किन्तु कृषि सम्पत्ति/भूमि पर पुत्रों का ही वर्चस्व है। भारतीय सन्दर्भ में भूमि न केवल जीवन यापन का साधन है बल्कि आत्मसम्मान, पहचान एवं सत्ता का प्रमाण भी है। हमारे समाज में भूमि को जिस तरह निजी मिल्कियत माना जाता है ठीक उसी तरह महिलाओं को भी पुरूष समाज में अपनी निजी सम्पत्ति से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। निजी भूमि में महिलाओं का भौमिक अधिकार न के बराबर है कई बार महिलाओं को शादी टूटने, विधवा होने अथवा पति द्वारा छोड़े जाने पर मायके तथा ससुराल दोनों पक्षों की ओर से आर्थिक सुरक्षा से वंचित रहना पड़ता है। समाज में आर्थिक सम्पत्ति/सम्पदा, शक्ति के प्रतीक के रूप में देखें जाते हैं। ऐसे हालात में महिलाओं को कृषि भूमि पर उत्तराधिकार प्रदान करने से उनके बेसहारा होने की सम्भावना कम हो सकती है।

उक्त विषय में समय–समय पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कानून बनाये गयें है किन्तु कानूनों में भिन्नता होने के कारण महिलाओं को समुचित/समयबद्ध लाभ नहीं मिल पाता है।

भारतीय समाज प्रारम्भ से ही पुरूष प्रधान रहा है, जिसमें पुरूषों द्वारा उनकी सम्पत्ति के साथ–साथ महिलाओं को भी सम्पत्ति के रूप में देखा जाता है तथा पुरूष वर्ग अपनी सम्पत्ति को पुत्रों के नाम ही किया जाना उचित समझतें हैं। इसी सोच के फलस्वरूप महिलाओं को कृषि सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान नहीं किये जाते हैं अपितु उनका विवाह कर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है।

इस सम्बन्ध में समाज में व्याप्त कतिपय भ्रान्तियों में एक प्रमख भ्रान्ति यह है कि पुत्रियों को कृषि भूमि में हिस्सा देने पर कृषि भूखण्ड संकुचित व छोटे हो जायेंगें, जिससें उनका पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सकेगा।

विचारणीय बिन्दु यह है कि परिवार में उपलब्ध कृषि भूमि को परिवार के 4–6 पुत्रों में समान रूप से वितरित किया जा सकता है तो पुत्रियों को क्यों नहीं।

राजस्व संहिता 2015 में सम्मिलित किए जाने हेतु उ0प्र0 राज्य महिला आयोग के सुझाव निम्नवत है–

1. **प्रस्तावित राजस्व संहिता 2006 की धारा 108 में संशोधन कर राजस्व संहिता 2015 में सम्मिलित किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की संस्तुति :–**

- **विवाह पूर्व पुत्री का कृषि भूमि पर जो मालिकाना हक बनता है वह अधिकार विवाहोपरान्त यथावत बनाया रखा जाए**

अथवा

विवाह की तिथि से पति की कृषि भूमि में स्वतः पत्नी का 1/2 मालिकाना हक प्राप्त कराया जाए।

2. प्रस्तावित राजस्व संहिता 2006 की धारा 109 में संशोधन कर राजस्व संहिता 2015 में सम्मिलित किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की संस्तुति :–

- ऐसी महिलाएं जिन्हें पैतृक कृषि भूमि पर स्वामित्व प्राप्त है उनकी मृत्यु के पश्चात् वह भूमि उसके पिता के वंशजों में स्थानान्तरित हो जाती है। आयोग का सुझाव है कि महिला की मृत्यु के पश्चात् कृषि भूमि में अपने पिता की ओर से प्राप्त मालिकाना हक उस महिला की संतान को प्राप्त हो।

3. ऐसी भूमि जो वन अथवा अन्य सरकारी विभाग के स्वामित्व में ऐसी भूमि है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, को चिन्हित कर बेसहारा महिलाओं को भूमि पर मालिकाना हक योजनाबद्ध तरीके से दिलाया जाये।
4. सभी अविवाहित/शारीरिक रूप से अक्षम/अनाथ/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा महिलाओं को ''पृथक परिवार'' का दर्जा दिलाया जाए साथ ही ऐसे परिवार जो भूमिहीन है, की महिलाओं को "भूमिहीन किसान" का दर्जा देकर राज्य सरकार की ओर से कम से कम दो (02) एकड़ भूमि जीवन निर्वाह हेतु उपलब्ध कराया जाना।